

अप्रार्थी अस्वामी अशर्मा अशर्मा
द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया।
पत्रावली वास्ते जवाब बहस दिनांक
05-08-22 को पेश हो।

Up.

05/8/22

पत्रावली आज पेश हुयी।
उभयपक्ष अशर्मापक्ष उपस्थित।
अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत
दिया गया जो शामिल पत्रावली
दिया गया। प्रार्थी वकील द्वारा
अस्थायी निषेधज्ञा के लिए निवेदन
कर बहस ही गयी। अप्रार्थी
वकील का पक्ष भी सुना गया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों
के अवलोकन उपरांत मैं न्यायालय
में उक्त प्रकरण में अस्थायी
निषेधज्ञा से उभयपक्षों को पाबन्द

क्र. सं.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
की तामीर

क्रिया जाना उचित समझता हूँ।
अतः अल्थाई निपेधात्ता इल आशय
जारी की जाती है कि उभय
पक्षकारान दावा फैसल तक
ग्राम - सौलपुर (पटवार हल्का - इसरकावी)
के खाता संख्या नया - 38 (खाता
संख्या पुराना - 41) के समस्तों
खसरो (कुल बिता - 25) की किसी
अन्य की रहन, बेचान न करें।
फैमला खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर
से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर की जाती है।



उप जिला कलेक्टर
चौब का बरबादा